न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या 664/18

रजबुन निशा---बनाम--- हरिश्चन्द्र आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं० 41क1

दिनांक-31.08.2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०-41क1 पेश है।

प्रार्थना पत्र कागज सं०-41क1 मय शपथ पत्र वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा०दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं० 1 हरिश्चन्द्र का देहान्त दिनांक 27.03.2020 को हो गया है। मृतक के विधिक व जायज वारिसान उनकी पुत्रीगण रेनू, रेखा, छाया, माया व बिन्ती तथा एकमात्र पुत्र विनय जो पहले से पक्षकार मुकदमा है। ऐसे में वाद पत्र में संशोधन करने की याचना वादी द्वारा की गयी है।

प्रतिवादी सं०-2 विनय कुमार द्वारा आपत्ति कागज संख्या 43 ग2 प्रस्तुत कर आपत्ति की गयी है कि प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। मृतक के पुत्रीगण रेनू, रेखा, छाया, माया व बिन्ती को फरीक नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्य गलत एवं निराधार है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 41क1 निरस्त करने की याचना प्रतिवादी सं०-2 विनय कुमार द्वारा की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। प्रतिवादी सं० 1 हरिश्चन्द्र का देहान्त दिनांक 27.03.2020 को हो गया है जिनके विधिक व जायज वारिसान उनकी पुत्रीगण रेनू, रेखा, छाया, माया व बिन्ती तथा एकमात्र पुत्र विनय जो पहले से प्रतिवादी सं०-2 के रूप में पक्षकार है। वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा मियाद माफी हेतु मौखिक रूप से क्षमा याचना की गयी है। प्रतिवादी सं०-2 विनय कुमार द्वारा की गयी आपत्ति के प्रकाश में वादी द्वारा संशोधन समाहित किया जा चुका है। जहाँ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब से प्रतिवादीगण को कारित क्षति का प्रश्न है तो इसकी भरपाई हर्जे पर सम्भव है। वादी का मृतक प्रतिवादी सं०-1 हरिश्चन्द्र के वारिसानो के विरूद्ध वादकारण शेष है। अतः सुनवाई का अवसर देने तथा मामले को गुण दोष पर पूर्ण व अंतिम निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 41क1 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०- 41क1 150/- रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। मृतक के वारिसान 1/1ता1/5 पर नोटिस जारी हो। वादी मृतक के वारिसान 1/1ता1/5 पर उभयप्रकार से पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवाबदावा दिनांक 30.09.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 02520